प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रमेश कुमार सुथार एडवोकेट न्यायालय परिसर भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर		राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार जसवन्तपुरा
प्रकरण अपील		24/2019
कम्प्यूटर आई.डी		2019/00075

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

14.08.2019	अपीलांट ने यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भेजते हुये जवाब प्राप्त किया जावे व जवाब की प्रति अपीलांट को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु लिखा जावे। पत्रावली 28.08.2019 को जवाव/बहस हेतु पेश हो। **प्रथम अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलेक्टर)** **जालोर**
28.08.2019	अपीलांट व सहायक लोक सूचना अधिकारी अनुपस्थित । सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)जसवंतपुरा का जवाब प्राप्त हुआ। सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)जसवंतपुरा ने जवाब दिनांक 28.08.2019 द्वारा व्यक्त किया कि अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र दिनांक 14.06.2019 के क्रम में आवेदित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक/1167 दिनांक 27.08.2019 द्वारा अपीलांट को भिजवाई गई। सूचना के अधिकार अधिनियम में कार्यालय में उपलब्ध सूचना ही उपलब्ध करवाई जाती है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे। सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जसवंतपुरा) के द्वारा प्रस्तुत जवाब व कथन पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना के संबध में तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा कार्यालय में उपलब्ध सूचना अपीलांट को जरिए पत्रांक/1167 दिनांक 27.08.2019 को भिजवाया जाना पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। sd/- **प्रथम अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलेक्टर)** **जालोर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.03 18:45:35 IST
Reason: SelfAttested